



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276931
CG-DL-E-08102026-276931

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5274]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2026/आश्विन 15, 1948

No. 5274]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2026/ASVINA 15, 1948

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
(यूनेस्को यूनिट)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5486(अ).—केंद्र सरकार, एतद्वारा, ऑरोविल फाउंडेशन अधिनियम, 1988 (1988 का 54) की धारा 12 के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से चार वर्षों की अवधि के लिए ऑरोविल फाउंडेशन के शासी बोर्ड के सदस्य नामित करती है:

1	थिरु राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर माननीय राज्यपाल, तमिलनाडु	अध्यक्ष (ऑरोविल फाउंडेशन अधिनियम की धारा 11(1)(i) के तहत)
2	श्री के. कैलाशनाथन माननीय उपराज्यपाल, पुडुचेरी	सदस्य (ऑरोविल फाउंडेशन अधिनियम की धारा 11(1)(i) के तहत)
3	प्रो. गौतम घोषाल	सदस्य (ऑरोविल फाउंडेशन अधिनियम की धारा 11(1)(i) के तहत)

	अंग्रेजी विभाग, विश्व-भारती	तहत)
4	डॉ. बीजायिनी मोहापात्रा क्षेत्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन की सह- लेखिका, जगतसिंहपुर, ओडिशा	सदस्य (ऑरोविल फाउंडेशन अधिनियम की धारा 11(1)(i) के तहत)
5	डॉ. श्रीमती छलमयी रेड्डी निदेशक-प्रधानाचार्य, श्री ऑरोबिंदो इंटरनेशनल स्कूल	सदस्य (ऑरोविल फाउंडेशन अधिनियम की धारा 11(1)(i) के तहत)
6	डॉ. वी. थिरुप्पुगान्न, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)	सदस्य (ऑरोविल फाउंडेशन अधिनियम की धारा 11(1)(i) के तहत)
7	संयुक्त सचिव (ऑरोविल फाउंडेशन के प्रभारी अधिकारी) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	केंद्र सरकार प्रतिनिधि (ऑरोविल फाउंडेशन अधिनियम की धारा 11(1)(ii) के तहत)
8	संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	केंद्र सरकार प्रतिनिधि (ऑरोविल फाउंडेशन अधिनियम की धारा 11(1)(ii) के तहत)

[फा. सं. 27-6/2020-यूयु]

गोविंद जायसवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION**(Department of Higher Education)**

(Unesco Unit)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2026

S.O. 5486(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 read with Section 12 of the Auroville Foundation Act, 1988 (54 of 1988), the Central Government hereby nominates the following persons as members of the Governing Board of the Auroville Foundation for a period of four years w.e.f. the date of this notification:

1	Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar Hon'ble Governor of Tamil Nadu	Chairman (Under Section 11(1)(i) of Auroville Foundation Act)
2	Shri K. Kailashnathan Hon'ble Lieutenant Governor of Puducherry	Member (Under Section 11(1)(i) of Auroville Foundation Act)
3	Prof. Goutam Ghosal	Member

	Department of English, Visva-Bharati	(Under Section 11(1)(i) of Auroville Foundation Act)
4	Dr. Bijayeeni Mohapatra Co-Author on Regional Public Health Studies, Jagatsinghpur, Odisha	Member (Under Section 11(1)(i) of Auroville Foundation Act)
5	Dr. Mrs. Chhalamayi Reddy Director Principal, Sri Aurobindo International School	Member (Under Section 11(1)(i) of Auroville Foundation Act)
6	Dr. V. Thiruppugazh, IAS (Retd.)	Member (Under Section 11(1)(i) of Auroville Foundation Act)
7	Joint Secretary (In-charge of Auroville Foundation) Ministry of Education, Government of India	Central Government Representative (Under Section 11(1)(ii) of Auroville Foundation Act)
8	Joint Secretary & Financial Adviser Ministry of Education, Government of India	Central Government Representative (Under Section 11(1)(ii) of Auroville Foundation Act)

[F. No. 27-6/2020-UU]

GOVIND JAISWAL, Jt. Secy.